रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-122/2025/1917/22-2-2024-17(704)/2025

लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामनयन राय (बन्दी सं0-24/21) पुत्र श्री हरिवंश राय, पाली, थाना-बासगांव, जनपद-गोरखपुर का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-116/1987 में भा०द०वि० की धारा-302/34, 323 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर द्वारा दिनांक 31.05.1988 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिसकी अपील उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.12.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.12.2022 तक अपरिहार 04 वर्ष, 01 माह, 15 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 09 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-122/2026/1917(1)/22-2-2024 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

4- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार गोरखपुर।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।